न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

राजस्व वाद संख्या : 01/2023(जी.सी.एम.एस.2024/33)

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगण
1. जसवन्त सिंह पुत्र होशियार सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 12 क्यू तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।	1. पाल कौर पुत्री इन्द्र सिंह पत्नी राजकुमार सिंह जाति महजबी सिख निवासी 12 एच मोहलां हाल निवासी दुल्लपुर कैरी 5 डी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर। 2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–02.02.2024

उपस्थितः 1.श्री कुलदीप बाना, श्री सुभाष गरूडा अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री सतवीर कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

––निर्णय–– दिनांक : 30.04.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 4 आर, पटवार हल्का मोहलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 90/86 के मुरब्बा नम्बर 45 की कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थी के नाम 0.263 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। घरू बंटवारनामा अनुसार प्रार्थी को मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 4 के 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 की 0.010 हैक्टेयर कुल 0.263 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। चक 4 आर की जमाबन्दी समवत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 53/52 के मुरब्बा नम्बर 44 की कुल 1.053 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी चक 4 आर के मुरब्बा नम्बर 45 की भूमि को काश्त करने के लिए मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 21/2 की दक्षिणी बट के साथ 0.017 हैक्टेयर, किला नम्बर 22/2 की दक्षिणी बट के साथ 0.017 हैक्टेयर, किला नम्बर 23/2 की दक्षिणी बट के साथ, किला नम्बर 24/2 की दक्षिणी बट के साथ 0.003 हैक्टेयर भूमि में से होते हुए अपने मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 4 व 5 की कुल 0.263 हैक्टेयर भूमि में प्रवेश करते है। प्रार्थी के पास अपने मुरब्बा नम्बर 45 की भूमि में आने-जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त चल रहे रास्ता को मंजूर करवाये जाने के लिए प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई बार कहा तो अप्रार्थी ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 आर के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 21/2, 22/2, 23/2 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 0.017 हैक्टेयर भूमि व किला नम्बर 24/2 की 0.003 हैक्टेयर भूमि में रास्ता मंजूर किए जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता को मंजूर किये जाने के आदेश दिए जावे और उक्त रास्ता का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में रकने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को आदेश पारित किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सतवीर कुमार उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी को अपने मुरब्बा नम्बर 45 की भूमि में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। यदि प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ता को स्वीकृत किया जाता हैं। तो मुझ अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं होगा।

3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2024/355 दिनांक 23.04.2024 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक मलकाना कलां मय नजरी नक्शा मानचित्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक मलकाना कलां व पटवारी हल्का मोहलां द्वारा चक 4 आर के मुरब्बा नम्बर 44, 45 के मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन कर आसपास के काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि मौके पर प्रार्थी के द्वारा जरिए मुरब्बा नम्बर 45 किला नम्बर 4,5 तक पहुंचने के लिए मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 21/2, 22/2, 23/2 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 0.017 हैक्टेयर भूमि व किला नम्बर 24 की 0.003 हैक्टेयर भूमि में से रास्ते की मांग की गई है। यह रास्ते की मांग व्यवहारिक है व मौका पर चालु है। प्रार्थी द्वारा की गई रास्ता की मांग अत्यातिंक है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:26:20 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार है:-'' कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।''

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी राजस्व ग्राम 4 आर के मुरब्बा नम्बर 45 के अभिलिखित खातेदार है तथा पडोसी मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24 से अपनी जोत तक पहुचने के लिए नवीन रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थी को अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 45 तक पंहुचने के लिए मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24 से प्रस्तावित रास्ता व्यावहारिक व मौका पर चालू है। यह प्रार्थी की अत्यातिंक आवश्यकता है। उक्त नवीन रास्ता के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। चाहा गया रास्ता मात्र सुविधा के लिए नहीं है। साथ ही प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने बाबत सहमति प्रकट की है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 4 आर, पटवार हल्का मोहलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 21/2, 22/2, 23/2 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 0.017 हैक्टेयर भूमि व किला नम्बर 24/2 की 0.003 हैक्टेयर भूमि कुल 0.054 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 21/2, 22/2, 23/2, 24/2 की कुल 0.054 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थी से वसूलकर हितबद्व अप्रार्थी संख्या 1 पाल कौर पुत्री इन्द्र सिंह को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्व अप्रार्थी उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्व अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा। तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालना बाबत तहरीर जारी हो। फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:26:20 IST
Reason: SelfAttested

{श्योराम आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

दूरभाष न0:– 01501226005
ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– रीडर/2024/166 दिनांक :– 30.04.2024

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः– प्रकरण संख्या 01/2024 अनवान जसवन्त सिंह बनाम पाल कौर आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में पारित **निर्णय दिनांक 30.04.2024 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2024 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में राजस्व ग्राम 4 आर, पटवार हल्का मोहलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 21/2, 22/2, 23/2 प्रत्येक की दक्षिणी बट के साथ-साथ 0.017 हैक्टेयर भूमि व किला नम्बर 24/2 की 0.003 हैक्टेयर भूमि कुल 0.054 हैक्टेयर भूमि को इस आदेश के संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 21/2, 22/2, 23/2, 24/2 की कुल 0.054 हैक्टेयर भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर का दुगुना प्रतिकर गणना करते हुए प्रस्तावित रास्ते की राशि प्रार्थी से वसूलकर हितबद्व अप्रार्थी संख्या 1 पाल कौर पुत्री इन्द्र सिंह को भुगतान करे। उक्त राशि वसूलने के बाद ही रास्ता कायम कर मौके एंव राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। यदि हितबद्व अप्रार्थी उक्त राशि प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं तो तो उक्त राशि को तब तक जमा रखें जब तक की हितबद्व अप्रार्थी इस बाबत तैयार न हो जावें। अप्रार्थी द्वारा उक्त राशि को प्राप्त करने में विलम्ब किए जाने की दशा में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)

{श्योराम (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2025.09.04 12:26:20 IST
Reason: SelfAttested